न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीया:–

सुमनदेवी पत्नि ज्ञानेशचन्द जाति पारीक उम्र 58 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 17 श्यामनगर बालाजी रोड फुलेरा जिला जयुपर।

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. केसरदेवी पत्नि पेमाराम जाति जाट
2. दुर्गालाल पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण
3. प्रभातीदेवी पत्नि रामदेव जाति जाट निवासी त्योदा तहसील फुलेरा जिला जयुपर।
4. पुष्पादेवी पत्नि मंगलचन्द जाति जाट निवासी त्योदा तहसील फुलेरा जिला जयुपर।
5. मनोज कुमार पुत्र सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी त्योदा तहसील फुलेरा जिला जयुपर।
6. मूलचन्द पुत्र सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी त्योदा तहसील फुलेरा जिला जयुपर।
7. लादुराम पुत्र देवबक्ष जाति जाट निवासी त्योदा तहसील फुलेरा जिला जयुपर।
8. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा सांभर लेक।
9. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा सांभरलेक।
10. मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक शाखा जोबनेर।
11. उप पंजीयक नावां तहसील नावां।
12. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां (भूमिधारी) तहसील नावां।
13. मुलकीदेवी पत्नि गणेशराम जाति जाट निवासी त्योदा तहसील फुलेरा।

दावा वास्ते इस्तकरार हक, भू–विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– श्री राजेश कुमावत अधिवक्ता वादीया

मुकदमा नम्बर: 21/2021 निर्णय दिनांक:– **30.01.2024**

निर्णय

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम चौसला तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 542 रकबा 3.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 545 रकबा 0. 24 [illegible] रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 554 रकबा 13.23 हैक्टर, कुल रकबा 17.26 [illegible]त चली आ रही है। उपरोक्त भूमि वादीया की खरीद शुद्वा भूमि है [illegible] वादीया का [illegible]/1726 हिस्सा अर्थात 8.31 हैक्टर निहित है जिसमें वादीया की [illegible] काबिज होकर उ[illegible] – उपभोग करती चली आ रही है। उपरोक्त भूमि का मौके प[illegible] वादीया व प्रतिवादीग[illegible]टवारा कर रखा है वादीया की उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 554 रकबा 13.23 हैक्टर में से 8.31 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:04:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

भूमि जो वादीया की पश्चिमी तरफ की काबिज खातेदारी की दर्ज चली आ रही है उपरोक्त भूमि में वादीया ने कुआ इत्यादी बना रखा है। उपरोक्त भूमि मे से वादीया अपने हक हिस्से की भूमि का बाद नाप चोक कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स भू – विभाजन कर सेपरेट हॉल्डिंग कायम करवाना चाहती है। उपरोक्त भूमि में से वादीया अपने हक अधिकारी काबिज खातेदारी भूमि का अलग नाप चौक करवा कर अलग बंटवारा करवाना चाहती है जिसकी वह हकदार है। इसलिए यह स्पष्ट खातेदारी अधिकारों की घोषणा व भू विभाजन का वाद पेश किया है। उपरोक्त भूमि मे से वादी अपने हक अधिकारो की सुरक्षार्थ स्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार हैं इसलिए यह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। प्रतिवादी सं. 1 ता 7 सहहिस्सेदार होने से आवश्यक पक्षकार है व प्रतिवादी सं0 8 ता 10 के यहा रहन दर्ज होने से व प्रतिवादीस सं. 11 उप पंजीयक व प्रतिवादी सं. 12 भूमिधारी होने से औपचारिक पक्षकार बनाये गये है। राजस्व ग्राम चौसला तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 542 रकबा 3.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 545 रकबा 0. 24 हैक्टर, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 554 रकबा 13.23 हैक्टर, कुल रकबा 17.26 हैक्टर में से पश्चिमी तरफ की 8.31 हैक्टर भूमि वादीया की काबिज खातेदारी अधिकारो की चली आ रही है इस आशय की खातेदारी अधिकारो की घोषणा फरमाकर एवं शेष खसरा नम्बर मे से वादीया को नाम हटाया जाने तथा वादीया की उक्त भूमि का बाद नाप चौक कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स भू– विभाजन कर सेपरेट हॉल्डिंग कायम की जावें। इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाने का आदेश तहसीलदार नांवा को आदेश प्रदान करने तथा उक्त भूमि में वादीया के हक हिस्से कि कब्जा काश्त कि भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल इत्यादी नही डाले इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा कि डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाने की इस्तदुआ की।

वादीया का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 7 ता 10 के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 दुर्गालाल ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा मुलकीदेवी को बेचार कर देने से प्रतिवादी संख्या 2 दुर्गालाल का नाम हफज किया गया तथा मुलकीदेवी पत्नि गणेशराम जाति जाट निवासी त्योदा तहसील फुलेरा को पक्षकार प्रतिवादी संख्या 13 पर संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 5, 6, 13 के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 11, 12 के तामील शुदा सम्मन प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीया ने अपने वाद पत्र के समर्थन में चालू जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श पी1 है। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादीया सुमनदेवी, पी.डब्ल्यू.2 मेवाराम, पी.डब्ल्यू.3 मालचन्द के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:04:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

सहमत होने पर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव पेश किया।

अधिवक्ता वादी की अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्व ग्राम चौसला तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 542 रकबा 3.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 545 रकबा 0. 24 हैक्टर, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 554 रकबा 13.23 हैक्टर, कुल रकबा 17.26 हैक्टर भूमि में वादीया की भूमि का मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि अनुसार भू–विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम चौसला तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 542 रकबा 3.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 545 रकबा 0. 24 हैक्टर, खसरा नम्बर 553 रकवा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 554 रकबा 13.23 हैक्टर, कुल रकबा 17.26 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू–विभाजन किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खातेदारों का रहन संबंधित बैंक में यथावत रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:04:14 IST
Reason: SelfAttested

अदालतः— **उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.**

अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीयाः—

सुमनदेवी पत्नि ज्ञानेशचन्द जाति पारीक उम्र 58 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 17 श्यामनगर बालाजी रोड फुलेरा जिला जयुपर।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. केसरदेवी पत्नि पेमाराम जाति जाट
2. दुर्गालाल पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण
3. प्रभातीदेवी पत्नि रामदेव जाति जाट निवासी त्योदा तहसील फुलेरा जिला जयुपर।
4. पुष्पादेवी पत्नि मंगलचन्द जाति जाट निवासी त्योदा तहसील फुलेरा जिला जयुपर।
5. मनोज कुमार पुत्र सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी त्योदा तहसील फुलेरा जिला जयुपर।
6. मूलचन्द पुत्र सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी त्योदा तहसील फुलेरा जिला जयुपर।
7. लादुराम पुत्र देवबक्ष जाति जाट निवासी त्योदा तहसील फुलेरा जिला जयुपर।
8. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा सांभर लेक।
9. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा सांभरलेक।
10. मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक शाखा जोबनेर।
11. उप पंजीयक नावां तहसील नावां।
12. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां (भूमिधारी) तहसील नावां।
13. मुलकीदेवी पत्नि गणेशराम जाति जाट निवासी त्योदा तहसील फुलेरा।

मुकदमां नम्बर :— 21/2021 **निर्णय दिनांक** :— 30.01.2024

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री राजेश कुमावत अधिवक्ता वादीया को डिक्री दी जाती हैं किः—

वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम चौसला तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 542 रकबा 3.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 545 रकबा 0. 24 हैक्टर, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 554 रकबा 13.23 हैक्टर, कुल रकबा 17.26 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू—विभाजन किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खातेदारों का रहन संबंधित बैंक में यथावत रहेगा। तहरीर जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.02.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी नावां

उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीलान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:04:14 IST
Reason: SelfAttested